न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 19/25 (225 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/119

उनवान

1. रनवीरसिंह पुत्र किशनसिंह
2. धारासिंह पुत्र किशनसिंह
3. जयसिंह पुत्र किशनसिंह
4. तेजवीरसिंह पुत्र किशनसिंह
5. पवनसिंह पुत्र किशनसिंह
6. सुराज पुत्री किशनसिंह
7. सत्यवती उर्फ संता पुत्री किशन

} जाति जाट भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

8. समुन्द्री बेवा किशनसिंह

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. फतेसिंह पुत्र नवलसिंह
2. राधे पुत्र नवलसिंह
3. राधाकिशन पुत्र नवलसिंह

} जाति जाट निवासी भंरगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

4. सावित्री पुत्री नवलसिंह पत्नी सगयसिंह जाति जाट निवासी ऊनापुर तहसील बैर जिला भरतपुर।
5. जावित्री पुत्री नवलसिंह पत्नी भौहरसिंह जाति जाट निवासी ऊनापुर तहसील वैर
6. राजवती पुत्री नवलसिंह पत्नी बल्ला जाट निवासी मालोनी तहसील रुपवास भरतपुर।
7. विजेन्द्र सिंह पुत्र सोनपाल जाति जाट निवासी भरंगरपुर (मृतक)

   7/1 रोहताश
   7/2 हरिओम
   7/3 ओमवीर

   } पिस0 विजेन्द्र सिंह

   7/4 ललिता पुत्री विजेन्द्र पत्नी राजेन्द्र हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   7/5 सुरेश पुत्री विजेन्द्र सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. बुद्धो बेवा छिद्दासिंह जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।
9. रनवीरसिंह पुत्र छिद्दा सिंह जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।
10. वृजबिहारी पुत्र छिद्दासिंह जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।
11. वासुदेव पुत्र छिद्दासिंह
12. मिथलेश पुत्र छिद्दासिंह
13. सन्ता विधवा अर्जुनसिंह
14. विमलेश पुत्री अर्जुनसिंह
15. रामवीर पुत्र अर्जुनसिंह
16. शशि पुत्री अर्जुनसिंह
17. दुर्जनसिंह पुत्र सोनपाल
18. बहादुरसिंह पुत्र सोनपाल

} जाति जाट निवासी भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स 91/09 बउनवानी नवलसिंह बनाम किशनसिंह में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री राजेश सोगरवाल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 7/1, 7/2, 7/3, 9, 10 व 11 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स 91/09 बउनवानी नवलसिंह बनाम किशनसिंह में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 805/0–48 वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर सायलान/रेस्पोडेन्ट्स समभाग के खातेदार काश्तकार काबिज हैं यह आराजी उन्हें अपने पिता सोनपाल से विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी साबिक ख.न. 650मिन/3.0 से नया नम्बर 805/0.48 बनाकर खातेदारी के इन्द्राज भू–प्रबंध विभाग द्वारा गैरसायलान के नाम अंकित कर देने के कारण गैरसायलान विवादित आराजी से सायलान की खातेदारी मानने से इंकार कर रहें है। वदी वजह सायलान ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण होने तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलान के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न करें तथा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तान्तरण न करें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.07.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण/सायलान का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रकरण में एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 15.09.2009 को ताफैसला कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश सोगरवाल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 7/1, 7/2, 7/3, 9, 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी बाबत पूर्व में रेस्पोडेन्ट के पिता/बाबा सोहनलाल ने अपीलान्टान के पिता के विरूद्ध घोषणात्मक वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय ए.सी.एम भरतपुर में प्रस्तुत किया था जो माननीय राजस्व मण्डल तक से दिनॉक 24.01.2006 को खारिज फरमा दिया गया। चूँकि दौराने पूर्व दावा सोहनपाल की मृत्यु हो चुकी थी इसलिये रेस्पोडेन्टान पक्ष का जिनके समक्ष ही माननीय राजस्व मण्डल ने उनका पूर्व दावा दिनॉक 24.01.2006 को खारिज फरमा दिया था। उसके बाद रेस्पोडेन्टान के पिता व रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र नजरसानी माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की वह भी दिनॉक 07.09.2006 को खारिज फरमा दी उसके बाद रेस्पोडेन्टान ने रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इस प्रकार जब पूर्व वाद में रोस्पोडेन्टान का कोई हक विवादित आराजी में नही माना है तो ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रस्तुत किया गया मौजूदा वाद मैन्टेनेबिल नहीं है और ना ही उनके हक में किसी प्रकार का आदेश जेर अपील पारित किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के हक में आदेश जैर अपील पारित किया गया जो विधि विरुद्ध होने के कारण तथा नियमों के विपरीत होने के कारण, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने से काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त आदेश से पूर्व लगभग 14 वर्ष से पत्रावली पर आदेशिका नहीं लिखी गई एवं आदेशिका दिनांक 26.10.2009 को गैरसायल द्वारा अपना जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया फिर भी न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में लिखा है कि न स्थगन बाबत कोई अपना विरोध प्रस्तुत किया है जो कि गलत है गैरसायल द्वारा अपने जबाब प्रार्थना–पत्र में ही विरोध प्रकट करत हुए स्थगन प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज करने की प्रार्थना की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित कर दिया। जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफ उभयपक्ष की उपस्थिति दिखाई है परन्तु आलोच्य आदेश में लिखा है कि गैरसायल के अधिवक्ता द्वारा कोई बहस नहीं की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व गैरसायलान को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। उक्त आलोच्य आदेश एकतरफा व मनमर्जी से पारित किया गया है तथा अपने काम के दबाब में आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि उक्त अपीलान्ट दिनांक 16.04.2025 को अपने अधिवक्ता के पास तारीख पेशी पर उपस्थित आये, तथा न्यायालय में जाकर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तब प्रार्थीयान को व उनके अधिवक्ता को उक्त आलोच्य आदेश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर नकल प्राप्त कर अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.04.2025 से अपील अन्दर म्याद शुमार करते हुए देरीना को क्षमा किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 01.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 805/0.48 वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर के सायलान समभाग के खातेदार काश्तकार काबिज था यह आराजी उन्हें अपने पिता सोनपाल से विरासत से प्राप्त हुई थी। पूर्व में यह संवत 2012 से पूर्व से विवदित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 650मिन/3.0 के सायलान के पिता स्व. सोनपाल बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे थे और अपने अन्तिम क्षणों तक आराजी पर भौतिक रुप से काबिज काश्तकार रहा था उन्हें इस आराजी पर खातेदार अधिकार प्राप्त रहे थे जिन्हें उनके मरणोपरान्त सायलान ने प्राप्त किया था। साबिक ख.न. 650मिन/3.0 से नया ख.न. 805/0.48 बनाकर खातेदारी के इन्द्राज भू-प्रबंध विभाग द्वारा गैरसायलान के नाम गलत अंकित कर देने के कारण सायलान के पिता ने एक राजस्व दावा इन्द्राज दुरुस्ती घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 24.03.1994 को खारिज किया गया। उक्त प्रकरण की न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03.06.1995 को स्वीकार करते हुए दावा पिता सायलान स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार गैरसायलान गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी पर सायलान की खातेदार मानने से इंकार कर रहा था। वदी वजह सायलान/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से निर्णय पारित कर सायलान/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया है। जो विधिसम्मत रुप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.07.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 05.05.2025 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा न तो जबाब पेश किया एवं न ही काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सायलान/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने द्वारा पेश दावे मे साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत पेश किया। जिसमे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2024 को अन्तिम निर्णय पारित कर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 15.09.2009 तौसला कन्फर्म कर दी गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सायला/रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सायला रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 15.09.2009 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की एवं आगामी तारीख पेशी 08.10.2009 नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.10.2009 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया एवं पत्रावली वास्ते बहस रखी गई। इसके उपरान्त पत्रावली लगातार बहस में चलती गई। जिसके बाद पत्रावली में करीब 14 साल बाद सीधे ही आश्चर्यजनक रुप से दिनांक 01.07.2024 को अन्तिम निर्णय पारित कर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 15.09.2009 ताफैसला मूलवाद कन्फर्म कर दी गई, जो कतई उचित नहीं है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 01.07.2024 को बहस सुनी गयी बाबत अंकन नहीं है जिससे यह साबित होता है कि बिना बहस सुने ही आक्षेपित आदेश पारित किया है। जबकि 14 वर्ष बाद पत्रावली को नम्बर पर लिया गया तो सर्वप्रथम उभयपक्ष अधिवक्ता को अवगल कराना चाहिए था एवं उसके उपरान्त बहस सुनकर गुणावगुण पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 अपास्त किया जाता है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2009 यथावत रहेगा एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए आवश्यक रुप से आगामी 2 माह में अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का अन्तिम रुप से निस्तारण करें।

11. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर